उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN,
LUCKNOW-226001
UPRVUNL

पत्रांक:154/उनिलि/प्रशिक्षण/समूह 'घ'/2013 दिनांक : मई, 27 , 2013

मुख्य अभियन्ता,
पीपीएमएम/तापीय परिचालन/मानव संसाधन/ईंधन,
उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,

मुख्य अभियन्ता,
अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज
ताप विद्युत गृह, उनिलि

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन
निगम लि0, 8वां तल,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

निजी सचिव,
निदेशक कार्मिक

विषय: उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम के समूह 'घ' कार्मिकों के Skill Upgradation हेतु तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा से एनसीबीटी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत **मात्र फिटर कोर्स** हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निगम पत्रांक 149/उनिलि/प्रशिक्षण/समूह 'घ'/2013, दिनांक मई 13, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उपरोक्त पत्र द्वारा विषयगत् प्रशिक्षण हेतु अर्ह पाये गये निगम कार्मिकों (समूह 'घ') को दिनांक 1.6.2013 की सांय तक तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरां में रिपोर्ट कर दिनांक 3.6.2013 से प्रारम्भ होने वाले उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निगम कार्यालय ज्ञाप सं0 1566–मास–03/उनिलि/2010, दिनांक 3 जून, 2010 तथा इसके अनुक्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 472/उनिलि/प्रशि./समूह 'घ' कार्मिक/2011–12, दिनांक 19.9.2011 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 144/उनिलि/प्रशि./समूह'घ' कार्मिक/2013, दिनांक मई 15, 2013 में निहित निर्देशों/शर्तों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निम्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना है–

1. अर्ह आवेदकों को एनसीबीटी परीक्षा हेतु वर्ष 2014 के सत्र में भाग लेने के लिए नोडल संस्थान के रूप में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को नामित किया गया है जिसकी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र निगम मुख्यालय पर जमा होंगे।
2. आवेदक द्वारा परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को मुख्यालय द्वारा प्रेषित कर दिया जायेगा जिसमें संलग्न पात्रता एवं अनुभव के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज अथवा आवश्यकतानुसार संयुक्त निदेशक (ज्वांइट डायरेक्टर) लखनऊ द्वारा जॉच करने के उपरान्त अर्ह प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. सभी आवेदकों को इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नवम्बर/दिसम्बर-2013 में आयोजित एनसीबीटी की स्कीनिंग परीक्षा में भाग लेना होगा।

4. इस स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल आवेदक एनसीबीटी की जनवरी/फरवरी-2014-माह में होने वाली मुख्य लिखित/प्रयोगात्मक परीक्षा में भाग ले सकेंगें।
5. इस कैरियर ग्रोथ कार्यक्रम में आने वाले व्यय का 50% निगम द्वारा एवं शेष 50% सम्बन्धित कार्मिक द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्त व्यय में तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा में दिये जाने वाले प्रशिक्षण पर व्यय (रहने, खाने एवं प्रशिक्षण शुल्क), ट्रान्सपोर्टेशन पर होने वाला व्यय एवं परीक्षा शुल्क सम्मिलित है।
6. निगम के समूह 'घ' कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनसीबीटी परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले समूह 'घ' के सभी कार्मिकों को उनके द्वारा देय 50% व्ययभार की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
7. इस प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को पूरा वेतन सहित शैक्षिक अवकाश प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना पर उनकी निगमीय आवास की सुविधा बहाल रखी जायेगी।
8. प्रशिक्षण में असफल होने पर कोई कटौती नहीं की जायेगी।
9. उपरोक्त प्रशिक्षण (कोचिंग/टीचिंग) प्राप्त करने हेतु यात्रा भत्ता निगम के नियमानुसार देय होगा किन्तु प्रशिक्षण के दौरान दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।
10. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्य–पुस्तके, ड्राइंग–बोर्ड, स्टेशनरी इत्यादि की व्यवस्था सहित इस मद में आने वाले खर्च को कार्मिक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
11. उपरोक्त विषयक तथ्य एनसीबीटी के प्रचलित नियमों के आधार पर लिये गये हैं अतः एनसीबीटी/एनसीबीटी अथॉर्टीज़ के द्वारा किये गये किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
12. उपरोक्त वर्णित निगम कार्यालय ज्ञाप में निहित अन्य निर्देश भी लागू होंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ अपने अधीनस्थ सम्बन्धित समूह 'घ' कार्मिकों, जिनकी सूची पूर्व में निगम द्वारा घोषित की जा चुकी है, को सूचित करने की कृपा करें। साथ ही इन कार्मिकों के नियन्त्रक अधिकारी को यह निर्देशित करने की कृपा करें कि वे निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा से इन कार्मिकों के वेतन से कटौती की जाने वाली धनराशि की सूचना प्राप्त होते ही तदानुसार कटौती सुनिश्चित करें।

पत्रांक-107/उनिलि/प्रशि/समूह घ/2013 दिनांक-11.04.2013

23/5/2013

(दिलीप कुमार ओझा)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशि.)

पत्रांकः 154/उनिलि/प्रक्षिक्षण/समूह 'घ'/2013 समदिनांकित

प्रतिलिपिः
1. मुख्य अभियन्ता, कार्पोरेट स्ट्रेटीजी, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, प्रशासन, ओबरा ताप विद्युत गृह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा को उनके पत्रांक 116/ताप्रसं/उनिलि/टी–5/प्रशि., दिनांक 13 मई, 2013 के सन्दर्भ में उक्त प्रशिक्षण को प्रस्तावित तिथि 03–06–2013 से प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रेषित।
4. सम्बन्धित कार्मिक।

23/5/2013

(दिलीप कुमार ओझा)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशि0)